पत्रांक-11/आ. 4-आ० वि०-01/95 का०-117

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 30.9.1995

विषय :- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आदर्श रोस्टर के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 15/आ. आ. को. 0145/89-का०-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग का प्रतिशत पूरा होने पर भी रिक्ति उपलब्ध होने पर रोस्टर प्रणाली हर हालत में लागू होगी ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका सिविल संख्या-79/1979 (आर. के. सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.2.95 को पारित आदेश से यह न्याय निर्देश दिया है कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में आरक्षित वर्ग के निर्धारित प्रतिशत के पूरी होने के उपरान्त रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा, तत्पश्चात किसी सेवा/संवर्ग में सेवा निवृत्ति/प्रोन्नति/मृत्यु अथवा अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्तियाँ उपलब्ध होंगी, उन रिक्तियों को उसी वर्ग से भरा जा सकेगा ।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका संख्या-सी० डब्लू० जे० सी०-1151/1991 (विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य), सी० डब्लू० जे० सी० नं० 7009/1991 (श्री के० पी० श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य), सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-9874/1989 (श्री के० डी० भगत बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्याय निर्देश के आलोक में दिनांक

6.4.95 को समेकित रूप में पारित आदेश से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-15/आ. आ. को. 0145/89 का.-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 को निरस्त कर दिया है ।

4. उपर्युक्त न्याय-निर्देश के आलोक में सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 15/आ. आ. को. 0145/89-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 को निरस्त करते हुये निर्णय लिया है कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग का निर्धारित प्रतिशत पूरा होने के उपरांत संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा । इसके पश्चात् सेवा निवृत्ति/प्रोन्नति/मृत्यु एवं अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्ति उपलब्ध होगी उस रिक्ति को उसी वर्ग से भरा जायेगा जिस वर्ग से रिक्ति उपलब्ध हुई है, अर्थात सामान्य वर्ग की रिक्ति सामान्य वर्ग से एवं आरक्षित वर्ग की रिक्ति को संबंधित आरक्षित वर्ग से ही भरा जायेगा ।

5. किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षित वर्ग के लिए पद नियमानुसार अग्रणीत रहेंगे ।

6. यह आदेश उन सभी मामलों में लागू होगा जिनमें नियुक्ति/प्रोन्नति का आदेश निर्गत नहीं किया गया है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-11/ वि. 1-22/95 का० 116

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक :

श्री बी० के० करण,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव ।

पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 1995

विषय :- रोस्टर क्लीयरेंस के मामलों के शीघ्र निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग में विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस हेतु जो संचिकाएं भेजी जाती हैं, उनमें पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप संचिकाओं का निष्पादन निश्चित समय पर नहीं हो पाता है । आरक्षण अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विभाग में आरक्षण से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु सम्पर्क पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिन्हें समय पर कार्मिक विभाग से सम्पर्क स्थापित कर आरक्षण के मामलों का निष्पादन कराने का दायित्व सौंपा गया है । वर्णित स्थिति में कार्मिक विभाग में लंबित संचिकाओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्येक महीने में एक तिथि निर्धारित की गयी है । अक्टूबर, 95 में निर्धारित तिथियों की सूची संलग्न की जाती है ।

अतः अनुरोध है कि संबंधित सम्पर्क पदाधिकारी/कार्यवाह सहायक को निर्धारित तिथि एवं समय में (अपराह्न 3 बजे) कार्मिक विभाग के उप सचिव के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने के लिए आदेश देने की कृपा करें, ताकि रोस्टर से संबंधित संचिकाओं का शीघ्र निष्पादन किया जा सके ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव

पत्र सं०-11/वि 6-भा०स०-01/94 का०-97

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 31 अगस्त, 1995

विषय :- अन्य राज्यों/एवं राज्य क्षेत्रों से आकर बसे व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि भारत सरकार के अन्तर्गत सिविल सेवाओं और पदों की रिक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में एक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है । कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के ध्यान में आया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन से व्यक्ति जिस राज्य में गये हैं वहाँ उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-12011/11/94-बी०सी०सी०, दिनांक 8.4.94 निर्गत किया गया है जिसमें विस्तृत अनुदेश दिये गये हैं, जिसकी एक प्रति आपके सहज संदर्भ के लिये संलग्न है । इस परिपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग जाति प्रमाण पत्र उन्हें जारी किया जा सकता है, जो किसी अन्य राज्य से आये हों ।

जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी को यह परामर्श दिया जाता है कि वे प्रमाण पत्र की सत्यता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव

पत्र सं०-11/आ० 4-नीति-01/92 का०-5526

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 7 जुलाई, 1995

विषय :- सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले संवर्गीय एकल पदों पर आरक्षण रोस्टर के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि एकल पद पर आरक्षण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-9015/93 में पारित आदेश से विभागीय परिपत्र संख्या 123 दिनांक 6.7.92 के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-20165, दिनांक 8.11.75 की कंडिका-3 के अनुसरण में निर्गत कार्मिक विभागीय पत्र संख्या 123, दिनांक 6.7.92, जिससे एकल पद पर आरक्षण लागू किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था, प्रभावी नहीं रहेगा ।

आपसे अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र सं०-11/वि०-4-जा०नि०-1001/94 का०-32

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/

सभी जिलापदाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 मई, 95

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की (अनुसूची 1 एवं 2) यथा संशोधित अध्यादेश, 1995 की अनुसूची-3 के आलोक में पिछड़े वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11/वि०4-जा०नि०-1001/94 का०-20, दिनांक 9.2.94 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में प्रपत्र संलग्न करते हुए निदेश दिए गए थे।

(2) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 द्वारा अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों की कोटि पर आरक्षण लागू नहीं होने का प्रावधान किया गया है जिसके फलस्वरूप पूर्व में निर्गत आदेश में संशोधन की आवश्यकता हो गयी है ।

(3) अत: कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11/वि० 4 जा० नि० 1001/94 का० 20, दिनांक 9.2.94 को अवक्रमित करते हुए निम्न आदेश दिया जाता है :-

(क) जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक जांचोपरान्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाय ।

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए निम्नांकित पदाधिकारी सक्षम होंगे–

(I) समाहर्त्ता/जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त ।

(II) अपर समाहर्त्ता/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त ।

(III) अनुमंडल पदाधिकारी ।

(IV) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ।

(V) कार्यपालक दण्डाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्त्ता हों और समाहरणालय अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सामान्य पक्ष में पदस्थापित हों) ।

(VI) परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्त्ता हों) ।

(VII) सहायक परियोजना पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्त्ता हों) ।

(VIII) प्रखंड विकास पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्त्ता हों) ।

(IX) जिला कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्त्ता हों)।

(X) अंचल पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्त्ता हों) ।

(4) सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए सिर्फ जिला दण्डाधिकारी का प्रमाण पत्र ही मान्य है ।

(5) जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए एक प्रपत्र निर्धारित किया जाता है जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

(6) अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को इससे अवगत करा दिया जाय तथा संलग्न प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

सं० 11/का० नि० छू०-1003/92 का०-11

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 95 ।

विषय :- **सरकारी सेवाओं में मूल पद से कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद के लिए कालावधि का निर्धारण ।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3/पी० आर० सी० -3/81/एफ०-10770 दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 की कंडिका 10 के द्वारा सभी सेवाओं, सम्वर्गों एवं पदों के लिए प्रवर कोटियों का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6021 दिनांक 18-12-89 के द्वारा आगे भी जारी रखा गया । इस संकल्प में सरकार का यह भी निर्णय सन्निहित है कि यदि पहले से किसी खास प्रवर कोटि के लिए कोई भिन्न मापदंड निर्धारित न हो तो कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि पाँच वर्ष की निर्धारित की जाय । सम्परिवर्तन से सृजित कनीय प्रवर कोटि एवं अन्य उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण प्रशासी विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग समुचित विचारोपरान्त निर्धारित करता रहा है । इस प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न विभागों के सेवाएं/सम्वर्गों के लिए मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि के पदों पर प्रोन्नति हेतु कालावधियाँ निर्धारित की गयीं । कनीय प्रवर कोटि के पदों पर मूल कोटि से प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि में एकरूपता लाने का प्रश्न इधर कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था ।

2. अब सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि के पदों, जो उपर्युक्त प्रथम कंडिका में वर्णित वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में सम्परिवर्तन द्वारा सृजित किये गये हैं, पर प्रोन्नति हेतु कालावधि प्रत्येक सेवा/सम्वर्ग के लिए पाँच वर्ष की रहेगी । यदि किसी सेवा /सम्वर्ग के लिए मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति हेतु पाँच वर्ष से अधिक की कालावधि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के किसी आदेश से निर्धारित की गयी है तो उसे इस हद तक संशोधित समझते हुए पाँच वर्ष ही माना जाय । यह सुविधा केवल मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि के पदों पर प्रोन्नति हेतु ही है न कि मूल कोटि से प्रोन्नति के नियमित पदों पर प्रोन्नति के बारे में । नियमित प्रोन्नति के पदों अथवा कनीय प्रवर कोटि से उससे उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु जो कालावधियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्धारित हैं वे यथावत कायम रहेंगी ।

3. यह निर्णय निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/बिहार लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/ प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापंक 11/का०-नि० छू०-1003/92 का० 11 पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 95

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/महालेखाकार, बिहार, पटना तथा राँची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकायों/निगमों/ लोक क्षेत्र उपक्रमों/ पर्षदों/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इसकी प्राप्ति की सूचना दें तथा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, लोक क्षेत्र उपक्रमों, पर्षदों आदि को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या 11/काला० -01/95 का०-10

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० करण, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 1995 ।

विषय : समाहरणालयों के प्रशासी नियंत्रण के अधीन से भिन्न मुफस्सिल लिपिकों के प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 8 दिनांक 13.2.95 के द्वारा समाहरणालयों के प्रशासी नियंत्रण के अधीन के लिपिकों के प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण किया गया है ।

2. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त निर्धारित कालावधि समाहरणालयों के प्रशासी नियंत्रण के अधीन से भिन्न मुफस्सिल लिपिकों की प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के लिए भी प्रभावी होगी, बशर्ते संबंधित संवर्ग का मूल पद पर और प्रवर कोटि पदों के वेतनमान समान हों ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या 11/काला०-01/95 का०-9

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० करण, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 1995 ।

विषय : चतुर्थ एवं तृतीय वर्गों के संवर्गों/पदों के प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि राज्य सरकार के अधीन चतुर्थ एवं तृतीय वर्गों के ऐसे कई संवर्ग/पद हैं जिनके प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के लिए कोई कालावधि निर्धारित नहीं है और फलतः ऐसे संवर्गों/पदों के प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति नहीं हो पा रही है ।

2. ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति हेतु कोई कालावधि निर्धारित नहीं है, उनके लिए कालावधि निर्धारण के संबंध में सरकार ने ऐसे सभी संवर्गों/पदों पर प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

(क) मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि	5 वर्ष
(ख) कनीय प्रवर कोटि से वरीय प्रवर कोटि	5 वर्ष
(ग) वरीय प्रवर कोटि से सुपर टाईम $2\frac{1}{2}\%$	3 वर्ष

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या 11/काला० -01/95 का०-8

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० करण, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 1995 ।

विषय : **समाहरणालयों के प्रशासी नियंत्रण के अधीन लिपिकों के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों की कालावधि का निर्धारण ।**

प्रसंग :- **कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग का पत्र संख्या 11/वि०-1-20011/83 का० 132 दिनांक 15-2-84**

महाशय,

निदेशानुसार मुझे उपरोक्त विषय के संबंध में प्रसंगाधीन पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा समाहरणालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अवस्थित लिपिक सम्वर्ग में प्रोन्नति के विभिन्न पदों के लिए कालावधि का निर्धारण किया गया था ।

2. लिपिक सम्वर्ग के प्रोन्नति के विभिन्न पदों के लिए कालावधि के संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था । पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के प्रसंगाधीन पत्र संख्या 132 दिनांक 15-2-84 के द्वारा निर्धारित प्रोन्नति के विभिन्न पदों की कालावधि को निम्नलिखित ढंग से संशोधित करने का निर्णय लिया है:-

निम्नतर पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये कालावधि
1	2	3
1. लिपिक (1200-1800)	कनीय प्रवर कोटि लिपिक (1400-2300)	5 वर्ष
2. कनीय प्रवर कोटि लिपिक (1400-2300)	वरीय प्रवर कोटि लिपिक (1400-2600)	5 वर्ष
3. वरीय प्रवर कोटि लिपिक (1400-2600)	सुपर टाईम स्केल (1500-2750)	3 वर्ष
4. सुपर टाईम स्केल (1500-2750)	कार्यालय अधीक्षक (1640-2900)	3 वर्ष

3. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या 11/वि०1-1022/91 खण्ड का०-147

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री गुलाम ताहिर, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/ सभी विश्वविद्यालय के कुलपति / महालेखाकार, बिहार, पटना एवं राँची ।

पटना-15, दिनांक 2 नवम्बर, 1994 ।

विषय : व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 155 दिनांक 14-12-93 के प्रावधान एवं उसके साथ संलग्न व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की सूची एवं इसी संदर्भ में कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के पत्र संख्या 163 दिनांक 28-12-93 द्वारा निर्गत सूची में (1) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना एवं (2) बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का नाम सूचीकृत नहीं हो सका है ।

सरकार की स्पष्ट मंशा है कि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का जो प्रावधान है उसे (1) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना एवं (2) बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी लागू किया जाय ।

अतः संकल्प संख्या 155 दिनांक 14-12-93 की कंडिका-3 के अन्तर्गत निर्गत सूची में राज्य के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के पत्रांक 163 दिनांक 28-12-93 के कड़ी में (1) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना एवं (2) बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का नाम VIII एवं IX के रूप में जोड़ा जाता है । शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना एवं बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सूची तदनुसार संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव ।

(VIII) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना ।

(IX) बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ।

पत्र संख्या 11/वि०-4-जा० नि०-10-04/94 का०-91

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 18 जुलाई, 1994 ।

विषय : कुर्मी जाति को केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण की सुविधा के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकार की दृष्टि में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ जिला पदाधिकारियों द्वारा कुर्मी जाति के लोगों को अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र यह कहते हुए नहीं निर्गत किया जा रहा है कि उन्हें भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।

2. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-11/वि० 6-भा० स०-1/94 का०-17 दिनांक 6-2-94 की ओर आकृष्ट किया जाता है । उक्त पत्र के पृष्ठ-20 में दिए गए परिशिष्ट के क्रमांक-15 में कुर्मी (महतो) एवं कुर्मी (महतो) (केवल छोटानागपुर प्रभाग) का उल्लेख है जिसके साथ मंडल आयोग की सूची के क्रम संख्या-101 एवं 110 का भी उल्लेख किया गया है । इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि मंडल आयोग के बिहार की सूची में क्रम संख्या-101 पर कुर्मी तथा 110 पर महतो दर्ज है ।

3. भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने अपने संकल्प संख्या-12011/68/93 बी० सी०सी० (सी०) दिनांक 10-9-93 द्वारा यह सूची परिचारित की है कि अलग-अलग राज्यों में कौन-कौन जातियों को भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा । इस संकल्प में बिहार की सूची के क्रमांक 15 का प्रावधान निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/ समान जातियों सहित) के नाम	राज्य सूची प्रविष्टि सं०	मंडल सूची में प्रविष्टि सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	कुर्मी (महतो)	1 (15)	101, 110	
2.	कुर्मी (महतो) [केवल छोटानागपुर प्रभाग में]	2(6)		

इसके स्तम्भ 2 के ही शीर्षक के साथ जाति की प्रविष्टि से स्पष्ट हो जाता है कि कुर्मी तथा महतो दोनों को भारत सरकार में आरक्षण का लाभ मिलेगा । यह इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाता है कि मंडल आयोग की बिहार की सूची में क्रमांक 101 पर कुर्मी तथा 110 पर महतो की प्रविष्टि है तथा इन दोनों क्रमांकों का उल्लेख स्तम्भ-4 में किया गया है । इसी आशय का उल्लेख कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-17 दिनांक 6-2-94 के पृष्ठ-20 पर परिशिष्ट के कॉलम 15 में भी है ।

4. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से कुर्मी तथा महतो को अन्य पिछड़े वर्गों का लाभ प्राप्त होगा । कृपया तदनुसार जाति प्रमाण पत्र-निर्गत किया जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/-एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या 11/आ०-4/नीति-10-04/93 का०-49

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 13 अप्रिल, 1994 ।

विषय : जिला एवं प्रमंडल की रिक्तियों में सीधी नियुक्ति हेतु आदर्श रोस्टर ।

प्रसंग : अधिसूचना संख्या 152, दिनांक 13 दिसम्बर, 1993 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 147, दिनांक 21-10-90 को अंशत: संशोधित करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या-152, दिनांक 13-12-93 द्वारा प्रत्येक जिला एवं प्रमंडल स्तर की नियुक्तियों के लिये नया आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

2. नये आरक्षण प्रतिशत को तदनुसार प्रत्येक जिला एवं प्रमंडल में प्रभावी बनाने के लिये संकल्प संख्या 147, दिनांक 21-10-90 जो जिला एवं प्रमंडल स्तर की सीधी नियुक्तियों के लिए प्रभावी था, को परिमार्जित करते हुए राज्य सरकार ने 100 बिन्दु का एक पुनरीक्षण आदर्श रोस्टर विवरण के रूप में संलग्न है ।

3. अत: आप से अनुरोध है कि इस रोस्टर का अनुपालन दृढ़ता से कराया जाय तथा नियुक्ति पदाधिकारियों को अनुदेश दिया जाय कि आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में उनके द्वारा की गयी किसी चूक को सरकार गम्भीरता से लेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव

प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर सीधी नियुक्तियों के लिए रोस्टर बिन्दु

I. **प्रमण्डल का नाम –** 1. सारण 2. भागलपुर 3. पूर्णिया

जिला का नाम – 1. सारण 2. सीवान 3. गोपालगंज 4. भागलपुर 5. बाँका 6. सीतामढ़ी 7. पश्चिमी चम्पारण 8. पूर्वी चम्पारण 9. मधुबनी 10. पूर्णिया 11. अररिया 12. किशनगंज 13. कटिहार 14. बेगूसराय

1.	अनुसूचित जाति –	14 प्रतिशत	2, 10, 18, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 68, 74, 84, 92, 96 = 14 पद
2.	अनुसूचित जनजाति –	7 प्रतिशत	4, 22, 36, 54, 62, 72, 86 = 7 पद
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –	16 प्रतिशत	6, 12, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 64, 70, 76, 82, 90, 94, 100 = 16 पद
4.	पिछड़ा वर्ग –	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 38, 44, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 11 पद
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
		50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**

II. **प्रमण्डल का नाम –** 1. तिरहुत 2. दरभंगा

जिला का नाम – 1. पटना 2. भोजपुर 3. बक्सर 4. दरभंगा

1.	अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत	2, 10, 18, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 64, 68, 74, 84, 92, 96 = 15 पद
2.	अनुसूचित जनजाति	6 प्रतिशत	4, 22, 36, 54, 72, 86 = 6 पद
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	16 प्रतिशत	6, 12, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 62, 70, 76, 82, 90, 94, 100 = 16 पद
4.	पिछड़ा वर्ग	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 38, 44, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 11 पद
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
		50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**

III. **प्रमण्डल का नाम –**

जिला का नाम – 1. नालन्दा 2. वैशाली 3. रोहतास 4. भभुआ

1.	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत	2, 6, 12, 18, 24, 32, 40, 46, 50, 54, 58, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 94 = 19 पद
2.	अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत	36, 86 = 2 पद
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	16 प्रतिशत	4, 10, 16, 20, 22, 28, 34, 42, 52, 60, 62, 70, 82, 90, 96, 100 = 16 पद
4.	पिछड़ा वर्ग	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 34, 38, 44, 48, 56, 66, 76, 92 = 11 पद
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
		50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**

IV. प्रमण्डल का नाम –		
जिला का नाम –		1. गया 2. जहानाबाद
1. अनुसूचित जाति	26 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 78, 82, 84, 90, 94, 98 = 26 पद
2. अनुसूचित जनजाति	1 प्रतिशत	86 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	12 प्रतिशत	4, 16, 20, 26, 34, 42, 54, 66, 70, 76, 88, 92 = 12 पद
4. पिछड़ा वर्ग	9 प्रतिशत	8, 12, 38, 48, 50, 58, 62, 96, 100 = 9 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

V प्रमण्डल का नाम –		
जिला का नाम –		1. नवादा
1. अनुसूचित जाति –	24 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 74, 78, 82, 84, 90, 94, 98 = 24 पद
2. अनुसूचित जनजाति –	1 प्रतिशत	86 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –	13 प्रतिशत	4, 16, 20, 26, 34, 42, 54, 66, 70, 72, 76, 88, 92 = 13 पद
4. पिछड़ा वर्ग –	10 प्रतिशत	8, 12, 22, 38, 46, 50, 58, 62, 96, 100 = 10 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद – 50

VI. प्रमण्डल का नाम –		1. कोशी 2. मुंगेर
जिला का नाम –		1. मुजफ्फरपुर 2. सहरसा 3. सुपौल 4. मधेपुरा 5. मुंगेर 6. जमुई 7. खगड़िया
1. अनुसूचित जाति –	16 प्रतिशत	2, 10, 18, 22, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 64, 68, 74, 84, 92, 96 = 16 पद
2. अनुसूचित जनजाति –	5 प्रतिशत	4, 36, 54, 72, 86 = 5 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –	16 प्रतिशत	6, 12, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 62, 70, 76, 82, 90, 94, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग –	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 38, 44, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

VII. प्रमण्डल का नाम -		
जिला का नाम -		**1. समस्तीपुर**
1. अनुसूचित जाति -	18 प्रतिशत	2, 10, 18, 22, 24, 34, 36, 42, 46, 52, 60, 64, 68, 72, 74, 84, 92, 96 = 18 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	3 प्रतिशत	4, 54, 86 = 3 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	16 प्रतिशत	6, 12, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 62, 70, 76, 82, 90, 94, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग –	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 38, 44, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**
VIII. प्रमण्डल का नाम -		**1. संथाल परगना**
जिला का नाम -		**1. दुमका 2. देवघर 3. गोड्डा 4. साहेबगंज 5. पाकुड़**
1. अनुसूचित जाति -	8 प्रतिशत	2, 18, 34, 52, 64, 72, 84, 96 = 8 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	31 प्रतिशत	4, 6, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 68, 74, 76, 78, 82, 86, 90, 92, 98, 100 = 31 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	6 प्रतिशत	12, 28, 40, 56, 70, 94 = 6 पद
4. पिछड़ा वर्ग –	4 प्रतिशत	14, 44, 66, 88 = 4 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	1 प्रतिशत	80 = 1 पद
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**
XI. प्रमण्डल का नाम -		**1. उत्तरी छोटानागपुर**
जिला का नाम -		**1. धनबाद ।**
1. अनुसूचित जाति -	16 प्रतिशत	2, 10, 18, 22, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 64, 68, 74, 84, 92, 96 = 16 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	10 प्रतिशत	4, 12, 26, 36, 44, 54, 62, 72, 86, 94 = 10 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	13 प्रतिशत	6, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 70, 76, 82, 90, 100 = 13 पद
4. पिछड़ा वर्ग –	9 प्रतिशत	8, 14, 38, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 9 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**

X. प्रमण्डल का नाम -		**1. दक्षिणी छोटानागपुर**
जिला का नाम -		**1. राँची 2. गुमला 3. लोहरदग्गा**
1. अनुसूचित जाति -	5 प्रतिशत	18, 34, 52, 74, 96 = 5 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	45 प्रतिशत	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100 = 45 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	—	शून्य
4. पिछड़ा वर्ग —	—	शून्य
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	—	शून्य
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**
XI. प्रमण्डल का नाम -		
जिला का नाम -		**1. पश्चिमी सिंहभूम 2. पूर्वी सिंहभूम**
1. अनुसूचित जाति -	5 प्रतिशत	18, 34, 52, 74, 96 = 5 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	44 प्रतिशत	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100 = 44 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	1 प्रतिशत	48 = 1 पद
4. पिछड़ा वर्ग —	—	शून्य
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	—	शून्य
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**
XII. प्रमण्डल का नाम -		
जिला का नाम -		**1. पलामू 2. गढ़वा**
1. अनुसूचित जाति	25 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 90, 96, 100 = 25 पद
2. अनुसूचित जनजाति	19 प्रतिशत	4, 8, 12, 16, 22, 26, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 66, 70, 76, 82, 86, 92 = 19 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	3 प्रतिशत	20, 80, 98 = 3 पद
4. पिछड़ा वर्ग	2 प्रतिशत	50, 94 = 2 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	1 प्रतिशत	30 = 1 पद
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**

XIII. प्रमण्डल का नाम –

जिला का नाम –		**1. बोकारो 2. गिरिडीह**
1. अनुसूचित जाति	18 प्रतिशत	2, 10, 18, 22, 24, 34, 36, 42, 52, 54, 60, 64, 68, 72, 74, 84, 92, 96 = 18 पद
2. अनुसूचित जनजाति	13 प्रतिशत	4, 12, 14, 20, 32, 44, 46, 58, 70, 86, 88, 90, 100 = 13 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	10 प्रतिशत	6, 16, 28, 40, 50, 56, 62, 76, 82, 94 = 10 पद
4. पिछड़ा वर्ग	7 प्रतिशत	8, 26, 38, 48, 66, 78, 98 = 7 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**

XIV. प्रमण्डल का नाम –

जिला का नाम –		**1. हजारीबाग 2. चतरा**
1. अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत	2, 10, 14, 18, 22, 24, 34, 36, 42, 52, 54, 60, 64, 68, 72, 74, 84, 92, 96 = 19 पद
2. अनुसूचित जनजाति	9 प्रतिशत	4, 12, 20, 32, 46, 58, 70, 86, 100 = 9 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	12 प्रतिशत	6, 16, 28, 40, 44, 50, 56, 62, 76, 82, 88, 94 = 12 पद
4. पिछड़ा वर्ग	8 प्रतिशत	8, 26, 38, 48, 66, 78, 90, 98 = 8 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**

XV. प्रमण्डल का नाम –

जिला का नाम –		**1. औरंगाबाद**
1. अनुसूचित जाति	23 प्रतिशत	2, 6, 12, 18, 20, 24, 32, 38, 40, 46, 50, 54, 60, 62, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 94, 98 = 23 पद
2. अनुसूचित जनजाति	1 प्रतिशत	86 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत	4, 10, 16, 22, 28, 36, 42, 52, 60, 70, 82, 90, 96, 100 = 14 पद
4. पिछड़ा वर्ग	10 प्रतिशत	8, 14, 26, 34, 44, 48, 56, 66, 76, 92 = 10 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	**कुल आरक्षित पद = 50**

XVI. प्रमण्डल का नाम -		1. पटना
1. अनुसूचित जाति	20 प्रतिशत	2, 6, 12, 18, 24, 32, 40, 46, 50, 54, 58, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 94, 98 = 20 पद
2. अनुसूचित जनजाति	1 प्रतिशत	86 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	16 प्रतिशत	4, 10, 16, 20, 22, 28, 36, 42, 52, 60, 62, 70, 82, 90, 96, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 34, 38, 44, 48, 55, 66, 76, 92 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

XVII. प्रमण्डल का नाम -		2. मगध
1. अनुसूचित जाति	25 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 20, 24, 32, 34, 38, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 90, 96, 100 = 25 पद
2. अनुसूचित जनजाति	1 प्रतिशत	50 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	13 प्रतिशत	4, 16, 22, 28, 36, 42, 62, 70, 82, 86, 92, 94, 98 = 13 पद
4. पिछड़ा वर्ग	9 प्रतिशत	8, 12, 26, 40, 44, 54, 58, 66, 76 = 9 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

XVIII. प्रमण्डल का नाम -		1. पलामू
1. अनुसूचित जाति	25 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 90, 96, 100 = 25 पद
2. अनुसूचित जनजाति	18 प्रतिशत	4, 8, 12, 16, 22, 26, 36, 44, 48, 54, 58, 62, 66, 70, 76, 82, 86, 92 = 18 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	4 प्रतिशत	20, 40, 80, 98 = 4 पद
4. पिछड़ा वर्ग	3 प्रतिशत	30, 50, 94 = 3 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	शून्य	शून्य
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

नोट :- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त शेष बिन्दु अनारक्षित रहेंगे ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1916 (श०)

(सं० पटना 204) पटना, मंगलवार 26 अप्रील 1994

विधि विभाग

अधिसूचना

26 अप्रिल, 1994

संख्या एल० जी०-1-03/93 लेज-138-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 26 अप्रिल, 1994 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

(बिहार अधिनियम 7, 1994)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 1994

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जा सकेगा;

(2) यह दिनांक 17 फरवरी, 1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4 का संशोधन ।- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 4 की उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे; यथा :--

"परन्तु यह कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी:

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए इस धारा में यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जायेगा ।"

2. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 13 का प्रतिस्थापन ।– उक्त अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

"13. अभियोजन – (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी नियुक्ति या प्रोन्नति के सम्बन्ध में जब कोई शिकायत की जाय तब यथास्थिति जिला स्तर पर जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त या प्रमण्डलीय स्तर पर आयुक्त या राज्य स्तर पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भलीभाँति जांच के पश्चात् सरकार के अनुमोदन से नियुक्ति पदाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कर सकेगा।

(2) वैसे मामले जिनमें नियुक्ति पदाधिकारी समाहर्त्ता/उपायुक्त हों तो प्रमण्डलीय आयुक्त, या प्रमण्डलीय आयुक्त हों तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसा मुकदमा किया जायेगा ।"

4. बिहार अधिनियम 3, 1992 से उपाबद्ध अनुसूची का संशोधन ।– उक्त अधिनियम में :-

(1) अनुसूची 1 में निम्नलिखित अंक, कोष्ठक एवं शब्द विलोपित किये जायेंगे तथा सदा से विलोपित किये गये समझे जायेंगे, यथा :-

"(14) खरवार (सिवान एवं रोहतास जिले के)

(20) खोन्द

(54) बनजारा

(59) भुइया

(74) बेदिया "

(2) अनुसूची 2 में निम्नलिखित अंक, कोष्ठक एवं शब्द जोड़े जायेंगे तथा सदा से जोड़े गये समझे जायेंगे, यथा–

"(36) भाट (हिन्दू)"

---

26 अप्रिल, 1994

संख्या एल० जी०-1-03/93 -लेज-139-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 26 अप्रिल, 1994 को अनुमत बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1994 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम् का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

[Bihar Act 7, 1994]

THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 1994.

AN

ACT

To amend the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 :—

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the forty-fifth year of the Republic of India as follows :

1. Short title and commencement .— (1) This Act, may be called "The Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (For Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Act, 1994";

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 17th February, 1993.

2. Amendment of Section 4 of Bihar Act 3, 1992 .— In the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act 3, 1992) (hereinafter referred to as the said Act) in sub-section(2) of Section 4 the following provisos shall be added, namely :—

"Provided that the State Government may by notification in the official Gazette fix different percentage for different districts in accordance with the percentage of population of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes in such districts :

Provided further that in case of promotion, reservation shall be made only for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the same proportion as provided in this Section."

3. Amendment of Section 13 of Bihar Act 3, 1992 .— In the said Act for Section 13, the following shall be substituted, namely :—

"13. *Prosecution* .— (1) When a complaint is made with regard to any appointment or promotion made in contravention of the provisions of this Act, the Collector/ Deputy Commissioner of the District at district level or the Commissioner at the divisional level or the Department of Personnel and Administrative Reforms at the State level, as the case may be, on due enquiry, may, with the approval

of the Government institute criminal case against the appointing authority and the concerned officers.

(2) Such prosecution shall be instituted by the Divisional Commissioner where the appointing officer is the Collector/Deputy Commissioner or by the Department of Personnel and Administrative Reforms, where the appointing officer is Divisional Commissioner.

4. Amendment of Schedules appended to the Bihar Act 3, 1992 .— In the said Act :—

(i) In Schedule I, the following figures, brackets and words shall be deleted and shall always be deemed to have been deleted, namely :—

"(14) Kharwar (colony for Siwan and Rohtas district)

(20) Khond

(54) Banjara

(59) Bhuiya

(74) Bedia."

(ii) In Schedule II, the following figures, brackets and words shall be added and shall always be deemed to have been added; namely :—

"(36) Bhat (Hindu)".

बिहार राज्यपाल के आदेश से

बिन्देश्वरी प्रसाद यादव

प्र० संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार

पत्र संख्या-11/आ० नीति-10-04/93 का०-34

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 11 मार्च, 1994

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए सरकारी तथा सभी अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति में आरक्षण के संबंध में रोस्टर की व्यवस्था ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-39, दिनांक 11.3.93 द्वारा विहित राज्य स्तरीय आदर्श रोस्टर के क्रमवार आरक्षित एवं अनारक्षित बिन्दुओं के विरुद्ध किसी एक संव्यवहार में 50 प्रतिशत पद आरक्षित वर्ग से भरने के सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निदेश के अनुपालन में व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कतिपय नियंत्रण पदाधिकारी एवं नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती रही है ।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा भली-भाँति जांचोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा निदेश एवं आरक्षण अधिनियम संख्या 3/1992 की धारा 4 के तहत सीधी नियुक्ति हेतु विहित आरक्षण प्रतिशत को व्यावहारिक प्रभाव देने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 39, दिनांक 11.3.93 को पुनरीक्षित कर एक नया आदर्श रोस्टर प्रभावी किया जाय जिसमें प्रत्येक दो रिक्तियों में एक-एक पद आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग को अनुमान्य हो । अत: पूर्व में निर्गत परिपत्र को अवक्रमित करते हुए 100 विन्दुओं का नया आदर्श रोस्टर संलग्न किया जा रहा है, जो सरकारी तथा सभी अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में राज्य स्तर की सीधी नियुक्ति में लागू होगा ।

3. यह रोस्टर तात्कालिक रूप से प्रभावी होगा तथा पूर्व के रोस्टर में आरक्षण जिसे अग्रनीत किया गया है, नये रोस्टर में अग्रनीत के रूप में रहेगा ।

4. प्रोन्नति से संबंधित पूर्व में निर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 20165, दिनांक 8.1.75 जिला/प्रमण्डल एवं राज्य स्तर की सभी रिक्तियों पर यथावत प्रभावी रहेगा ।

अत: अनुरोध है कि पुनरीक्षित आदर्श रोस्टर का दृढ़ता से अनुपालन प्रत्येक नियुक्ति/नियंत्रण पदाधिकारी सुनिश्चित करने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,
ह०/-एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

100 बिन्दुओं का रोस्टर

1. अनारक्षित
2. अनुसूचित जाति
3. अनारक्षित
4. अनुसूचित जनजाति
5. अनारक्षित
6. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
7. अनारक्षित
8. पिछड़ा वर्ग
9. अनारक्षित
10. अनुसूचित जाति
11. अनारक्षित
12. अनुसूचित जनजाति
13. अनारक्षित
14. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
15. अनारक्षित
16. पिछड़ा वर्ग
17. अनारक्षित
18. अनुसूचित जाति
19. अनारक्षित
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित
22. अनुसूचित जनजाति
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति
25. अनारक्षित
26. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
27. अनारक्षित
28. पिछड़ा वर्ग
29. अनारक्षित
30. पिछड़ा वर्ग की महिला
31. अनारक्षित
32. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
33. अनारक्षित
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अनुसूचित जनजाति
37. अनारक्षित
38. पिछड़ा वर्ग
39. अनारक्षित
40. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
41. अनारक्षित
42. अनुसूचित जाति
43. अनारक्षित
44. पिछड़ा वर्ग
45. अनारक्षित
46. अनुसूचित जाति
47. अनारक्षित
48. अनुसूचित जनजाति
49. अनारक्षित
50. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
51. अनारक्षित
52. अनुसूचित जाति
53. अनारक्षित
54. अनुसूचित जनजाति
55. अनारक्षित
56. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
57. अनारक्षित
58. पिछड़ा वर्ग
59. अनारक्षित
60. अनुसूचित जाति
61. अनारक्षित
62. अनुसूचित जनजाति
63. अनारक्षित
64. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
65. अनारक्षित
66. पिछड़ा वर्ग
67. अनारक्षित
68. अनुसूचित जाति
69. अनारक्षित
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. अनारक्षित
72. अनुसूचित जनजाति
73. अनारक्षित
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
77. अनारक्षित
78. पिछड़ा वर्ग
79. अनारक्षित
80. पिछड़ा वर्ग की महिला
81. अनारक्षित
82. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
83. अनारक्षित
84. अनुसूचित जाति
85. अनारक्षित
86. अनुसूचित जनजाति
87. अनारक्षित
88. पिछड़ा वर्ग
89. अनारक्षित
90. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
91. अनारक्षित
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. पिछड़ा वर्ग
95. अनारक्षित
96. अनुसूचित जाति
97. अनारक्षित
98. अनुसूचित जनजाति
99. अनारक्षित
100. अत्यंत पिछड़ा वर्ग

पत्र संख्या-11/वि-4 जा० नि०-1001/94 का०-20

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एस० वर्मा, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 9 फरवरी, 1994

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 की अनुसूची -1 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)/अनुसूची 2 (पिछड़ा वर्ग) हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11/आ० 1-101/84 का०-265, दिनांक 24-4-85 एवं पत्रांक-11/आ० 1-102/82 का०-279, दिनांक 8-5-85 को अवक्रमित करते हुए यह निदेश दिया जाता है कि पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण प्रावधानों का समुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र में उनकी जाति का नाम दिया जाय तथा यह भी उल्लेख किया जाय कि उक्त जाति बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 की अनुसूची 1 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)/ अनुसूची 2 (पिछड़ा वर्ग) के अंतर्गत शामिल है।

2. उक्त प्रमाण-पत्र आवश्यक जाँचोपरान्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाय ।

3. राज्य सरकार ने अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये निम्नांकित पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया है :-

(क) समाहर्त्ता/जिला दंडाधिकारी /उपायुक्त

(ख) अपर समाहर्त्ता/अपर जिला दंडाधिकारी/अपर उपायुक्त

(ग) अनुमंडल पदाधिकारी

(घ) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता

(ङ) कार्यपालक दंडाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्त्ता हों और समाहरणालय अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सामान्य पक्ष में पदस्थापित हों)

(च) परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्त्ता हों)

(छ) सहायक परियोजना पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्त्ता हों)

(ज) प्रखंड विकास पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्त्ता हों)

(झ) जिला कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्त्ता हों)

(ञ) अंचल अधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्त्ता हों) ।

4. सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिये सिर्फ जिला दंडाधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य है ।

5. अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश की जानकारी दे देने की कृपा करें।

6. जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र (फारम) संलग्न किया जाता है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एस० वर्मा

सरकार के अपर सचिव ।

प्रपत्र

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्गों के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पिता/पति श्री ..... ग्राम ..... पोस्ट ..... थाना ..... अनुमंडल ..... जिला ..... बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के अन्तर्गत ..... जाति के सदस्य हैं ।

सक्षम पदाधिकारी

नोट :- जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

पत्र संख्या-11/वि० 6-भा० स०-01/94 का०-17

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री गुलाम ताहिर, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 फरवरी, 94

विषय :- अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार की सिविल पदों एवं सेवाओं पर आरक्षण के लिये प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या 12011/68/93-बी० सी० सी० (सी०) दिनांक अक्टूबर, 93 के साथ प्रकाशित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और (प्रशिक्षण) पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 36012/22/93-इस्ट-(एस० सी० टी०), दिनांक 8 सितम्बर, 93 एवं दिनांक 15 नवम्बर, 93 की प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ मार्गदर्शन हेतु संलग्न की जा रही हैं ।

2. कृपया पावती स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव।

अनुलग्नक : यथोपरि

No. 12011/68/93—BCC(C)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WELFARE

Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Date the October, 1993

To,

The Chief Secretary, Government of Bihar, Patna

Subject : Implementation of reservation of 27% vacancies in civil posts and services under the Government of India in favour of Other Backward Classes OBCs—List of Other Backward Classes.

Sir,

I am directed to forward herewith five copies of the resolution dated the 13th September, 1993 (list of OBCs) regarding the above cited subject for onward transmission to your Ministries/Departments for official use.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,

Sd/- (Mrs.) (Manjula Krishnan)
Director BCC (C)

Encl : As above

No. 36012/22/93-Estt (SCT)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

New Delhi, Dated the 15th Nov. 1993

To,

The Chief Secretaries of all the State Governments/ Union Territories.

Sub : Reservation for Other Backward Classes--exclusion of Creamy Layer for the purpose of appointment in services and posts under the Government of India--Certificate to be produced by the candidates.

Sir,

I am directed to say that the Government of India has issued instructions on 8.9.93 providing for reservation to Other Backward Classes in the services and posts under the Government of India (A copy of this O.M is enclosed). The Other Backward Classes for the purpose of the above said reservation would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Government's list. A list of such castes and communities was notified in Resolution No. 12011/68/93-BCC(C), dated 10th Sept, 1993 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I Section I dated 13.9.93. For the purpose of verification of the castes and communities the Government of India has prescribed a certificate from the following authorities as in the case of SC/ST vide this Department's O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT), dated 22.10.93 (copy enclosed) :

(a) District Magistrate/Additional Districrt Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendary Magistrate).

(b) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(c) Revenue Officer (not below the rank of Tahsildar); and

(d) Sub-Divisional Officer of the area where the Candidate and / or his family normally resides.

2. In the light of the Supreme Court's Judgement in the Indira Sawhney case, this Department has specified the persons/sections (Creamy Layer) to whom the benefit of reservation shall not apply vide column 3 of the Schedule to the Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated 8.9.93. It has been considered that the same authorities who are notified as competent to certify OBCs status should also be authorised to certify that a candidate does not belong to the "Creamy Layer". It is, therefore, requested that instructions may be issued to the District Authorities under your control to verify and issue the necessary certificate to the candidates regarding his OBCs status as well as exclusion from the "Creamy layer". To enable the District Authorities to examine the claims of the candidates a model format has been devised as in Annexure B. This may be suitably revised if considered necessary. The format of the Certificate that may be given by the concerned district authorities may be as in Annexure A.

3. It is also requested that wide publicity may be given to the Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C), dated 10-9-93 published in the Gazette of India/ Extraordinary Part I Section-I, dated 13-9-93 containing the list of Backward Castes as well as to DOPT O. M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated 8-9-93 which specifies the criteria which will determine the persons who belong to the creamy layer and to whom the reservation shall not apply. This will facilitate the candidates to ascertain their eligibility for reservation. It would also be advisable to appropriately brief the certifying Authorities and to provide them with sufficient number of copies of the above mentioned Gazette Notification and the Deptt. O. M. dated 8-9-93 in order to ensure prompt and correct certification.

4. A copy of the orders issued by your Government in this regard may also be endorsed to this Department for information.

(Hindi version will follow.)

Yours faithfully,

Sd/- Smt. Sarita Prasd

Joint Secretary to the Government of India.

Annexure - A

FORM OF

CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA.

This is to certify that .....

Son of ..... of Village .....

District/Division ..... in the .....

State ..... belongs to the ..... community

which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93— BCC(C), dated 10th Sept. 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I dated 13th Sept. 1993. Shri ..... and/ or his family ordinarily resides in the ..... District/Division of the ..... State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93.– Estt. (SCT), datd 8.9.93.

Date — District Magistrate,

Seal — Deputy Commissioner

NB. (a) The term 'ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

(b) Where the certificates are issued by Gazetted Officers of the Union Government or State Governments, they should be in the same form but countersigned by the District Magistrate or Deputy Commissioner (Certificates issued by Gazetted Officers and approved by District Magistrate/Deputy Commissioner are not sufficient).

Annexure – B

APPLICATION FORM FOR A CERTIFICATE FOR ELIGIBILITY FOR RESERVATION OF JOBS FOR OTHER BACKWARD CLASSES IN CIVIL POSTS AND SERVICES UNDER GOVERNMENT OF INDIA.

(This form, however, should be used only as a model. Additional items, if necessary, may be incorporated to suit to the local situation in the form O.)

To

_____

_____

_____

Sir,

I, request that a certificate in respect to reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under Government of India be granted to me.

I give below the necessary particulars :—

1. Full name of the applicant :

   (in block letters)
2. Date of birth :
3. Complete Residential address :

   (a) Present :

   (b) Permanent :
4. Religion :
5. Caste :
6. Sub-caste :
7. Occupational Group :
8. Serial Number of the caste in the Central List of OBCs :
9. Name of Father :
10. Name of Mother :
11. Name of Husband :
12. Status of Parents(s)/Husband :

Father ———— Mother ———— Husband

(A) Constitutional posts
(I) Designation

(B) Government Services
(III) (a) Irrigated
(Type of irrigated Land)
(i)
(ii)
(iii)

(b) Unirrigated.

To be certified by District Revenue Officer not lower than the rank of Tahsildar.

(iv) Percentage of irrigated land holding to statutary ceiling limit under State Land Ceiling Laws.
(v) If land holding is both irrigated/unirrigated total irrigated land holding on the basis of conversion formula in State Land Ceiling Law.
(vi) Percentage of total irrigated land holding to statutary ceiling limit as per (iv).

(F) II – Plantation
(i) Crops/Fruit.
(ii) Location
(iii) Area of Plantation.

(F) III – Vacant Land and/or buildings in urban areas or urban agglemoration.
(i) Location of Property.
(ii) Details of Property.
(iii) Use to which it is put.

(G) Income/Wealth.
(i) Annual family income from all sources (excluding salaries & income from agricultural land)
(ii) Whether Tax payer (Yes/No.)
(If yes, a copy of the last three years return be furnished.)
(iii) Whether covered in Wealth Tax Act (Yes/No.)
(if so, furnish details.)

(E) Any other remarks.

(F) I certify that the above said particulars are true to the best of my knowledge and belief and that I do not belong to the Creamy Layer of OBCs and am eligible to be considered for posts reserved for OBCs. In the event of any information being found false or incorrect, or ineligibility that my candidature/appointment is liable to be cancelled and I shall be liable to such further action as may be provided under the law and/ or Rules.

Yours faithfully,

Signature of the Candidate.

Place :

Date :

No. 36012/22/93-Estt. (SCT)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 8th September, 93

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Reservation for Other Backward Clases in Civil Posts and Services under the Government of India -- Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated the 13th August, 1990 and 25th September, 1991 regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court Judgement in the Indira Sawhney and others Vs. Union of India and others case (Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990) the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/ sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

2. Consequent to the consideration of the Expert Committee's recommendations this Department's Office Memorandum No. 36012/31/90-Estt. (SCT) dated 13.8.90 referred to in para (1) above is hereby modified to provide as follows :

(a) 27% (Twenty-seven per cent) of vacancies in civil posts and services under the Government of India, to be filled through direct recruitment, shall be reserved for the Other Backward Classes. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately.

(b) Candidates belonging to OBCs recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27%.

(c)(i) The aforesaid reservation shall not apply to persons/sections in column 3 of the schedule to this office memorandum.

(ii) The rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupations, callings. A list of such occupations, callings will be issued separately by the Ministry of Welfare.

(d) The OBCs for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase , the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Government's Lists. A list of such castes and communities is being issued separately by the Ministry of Welfare.

(e) The aforesaid reservation shall take immediate effect. However, this will not apply to vacancies where the recruitment process has already been initiated prior to the issue of this order.

3. Similar instructions in respect of public sector undertakings and financial institutions including public sector banks will be issued by the Department of Public Enterprises and by the Ministry of Finance respectively effective from the date of this Office Memorandum.

(Hindi version will follow.)

Sd/- Smt. Sarita Prasad

Joint Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments of Government of India.

Copy :

1. Department of Public Enterprises, New Delhi.
2. Ministry of Finance (Banking & Insurance Divisions), New Delhi.

It is requested that the said instructions may be issued in respect of PSUs, Public Sector Banks & Insurance Corporations.

SCHEDULE

Description of category	To whom rule of exclusion will apply
I. CONSTITUTIONAL POSTS	Son(s) and daughter(s) of (a) President of India; (b) Vice President of India; (c) Judges of the Supreme Court and of the High Courts; (d) Chairman & Members of UPSC and of the State Public Service Commission; Chief Election Commissioner; Comptroller and Auditor General of India; (e) Persons holding Constitutional Positions of like nature.

II. SERVICE CATEGORY	Son(s) and daughter(s) of
A. Group A/Class I officers of the All India Central and State Services (Direct Recruits)	(a) Parents, both of whom are Class I officers; (b) Parents, either of whom is a Class I officer; (c) Parents, both of whom are Class I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation. (d) Parents, either of whom is a Class I officer, and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years: (e) Parents both of whom are Class I officers die or suffer permanent incapacitation and before death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years; Provoided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases : (a) Sons and daughters of parents either of whom or both of whom are Class-I officers and such parent(s) dies/die or suffer permanent incapacitation. (b) A lady belonging to OBC category has got married to a Class-I officer, and may herself like to apply for a job.

B. Group B/Class II officers of the Central & State Services (Direct Recruitment)	Son(s) and daughter(s) of (a) parents both of whom are Class II officers; (b) parents of whom only the husband is a Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier; (c) parents, both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before such death or permanent incapacitation; (d) parents of whom the husband is a Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a Class II officer and the wife dies or suffers permanent incapacitation; and (e) parents of whom the wife is a Class I officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a Class II officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation : Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases. : Sons and daughters of (a) Parents both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation.

Sons and daughters of

(b) parents, both of whom are class II officers and both of them die or suffer permanent incapacitation even though either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation.

C. Employees in Public Sector Undertakings etc.

The criteria enumerated in A & B above in this Category will apply mutatis mutandis to officers holding equivalent or comparable posts in PSUs, Banks, Insurance organisations, Universities, etc. and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment, pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in Category VI below will apply to the officers in these Institutions.

III. ARMED-FORCES INCLUDING PARAMILITARY FORCES (Persons holding Civil Posts are not included)

Son(s) and daughter(s) of

parents either or both of whom is or are in the rank of Colonel and above in the Army and to equivalent posts in the Navy and the Air Force and the Para Military Forces;

Provided that :—

(i) if the wife of an Armed Forces Officer is herself in the Armed Forces (i.e., the category under consideration) the rule

	of exclusion will apply only when she herself has reached the rank of Colonel; (ii) the service ranks below Colonel of husband and wife shall not be clubbed together; (iii) If the wife of an officer in the Armed Forces is in civil employment, this will not be taken into account for applying the rule of exclusion unless she falls in the service category under item No. II in which case the criteria and conditions enumerated therein will apply to her independently.
IV. PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN THE TRADE AND INDUSTRY	Criteria specified against category VI will apply.
(I) Persons engaged in profession as a doctor, lawyer, chartered accountant, Income-Tax consultant, financial or management consultant, doctor, surgeon, engineer, architect, computer specialist, film artists and other film professional, author, playwright, sports person, sports professional, media professional or any other vocations of like status;	
(II) Persons engaged in trade, business and industry	Criteria specified against category VI will apply. *Explanation :—* (i) Where the husband is in same profession

and the wife is in a Class II or lower grade employment, the income/wealth test will apply only on the basis of the husband's income.

(ii) If the wife is in any profession and the husband is in employment in a Class II or lower rank post, then the income/wealth criterion will apply only on the basis of the wife's income and the husband's income will not be clubbed with it.

V. PROPERTY OWNERS

A. Agricultural holdings

Son (s) and daughter (s) of persons belonging to a family (father, mother and minor children) which owns

(a) only irrigated land which is equal to or more than 85% of the statutory ceiling area, or

(b) both irrigated and unirrigated land, as follows :—

(i) The rule of exclusion will apply where the pre-condition exists that the irrigated area (having been brought to a single type under a common denominator) 40% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land (this being calculated by excluding the unirrigated portion). If this pre-condition of not less than 40% exists, then only the area of unirrigated land will be taken into account. This will be done by converting the unirrigated land on the basis of the conversion formula

existing, into the irrigated type. The irrigated area so computed from unirrigated land shall be added to the actual area of irrigated land and if after such clubbing together the total area in terms of irrigated land is 80% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land, then the rule of exclusion will apply and disentitlement will occour.

(ii) The rule of exclusion will not apply if the land holding of a family is exclusively unirrigated.

B. Plantations.

(i) Coffee, tea, rubber etc. — Criteria of income/wealth specified in category VI below will apply.

(ii) Mango, citrus, apple plantations etc. — Deemed as agricultural holding and hence criteria at A above under this category will apply.

C. Vacant land and / or buildings in urban areas or urban agglemorations. — Criteria specified in Category VI below will apply.

Explanation :- Building may be used for residential, industrial or commercial purpose and the like two or more such purposes.

VI. INCOME/WEALTH TEST — Son(s) and daughter(s) of

(a) Persons having gross annual income of Rs. one lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years.

(b) Persons in Categories I, II, III, and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above.

Explanation :

(i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

(ii) The income criteria in terms of rupee will be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interrugnum may be less.

Explanation :

Wherever the expression "permanent incapacitation" occur in this schedule, it shall mean incapacitation which results in putting an officer out of service.

APPENDIX

LIST OF STATES OF OBCs

STATE : BIHAR : COMMON LIST

Sl. No.	Name of Castes/Communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of S.E.B.Cs.	Entry No. in Mandal list	Remarks
1	2	3	4
1.	Abdal	1	अबदल
2.	Agariya	2	अगरिया
3.	Aghori	3	अघोरी

4.	Amaat	5	अमात
5.	Kasab (Kasai) (Muslim)	80	कसाब (कसाई) (मु०)
6.	Kewat	115	केवट
	Keot	84	
7.	Kadar	68	कादर
8.	Kaivartta/Kalbartta	71	केवर्त/केवर्स
9.	Kalandar	72	कलन्दर
10.	Kaura	81	कोरा
11.	Kawar	82	कवार
12.	Kochh	93	कोछ
13.	Korku	95	कोरक
14.	Kumarbhag Pahadia	97	कुमारभाग पहाड़िया
15.	Kurmi (Mahto)	101, 110	कुर्मी (महतो)
	Kurmi (Mahto) (in Chhotanagpur Division only)		कुर्मी (महतो) (केवल छोटानागपुर प्रमंडल के लिए)
16.	Kagzi	69	कागजी
17.	Kanu	77	कानू
18.	Kamar (Lohar, Karmkar, Visvakarma)	74, 75, 106	कमार (लोहार, कर्मकार, विश्वकर्मा)
19.	Kushwaha (Koeri)	102	कुशवाहा (कोइरी)
20.	Kapadia	78	कपड़िया
21.	Kosta, Koshta	96	कोस्टा, कोशटा
22.	Khatik	87	खटिक
23.	Khangar	86	खंगर
24.	Khatwa	88	खतवा
25.	Khatwe	89	खतवे
26.	Khadwar	85	खड़वार
	(only in the district of Sivan and Rohtas)		(केवल सीवान एवं रोहतास जिला के लिए)
27.	Khatauri Khataur	91	खेतौरी
28.	Khelta	90	खेलटा
29.	Godi (Chhava)	52	गोदी (छावा)
30.	Gaddi	44	गद्दी

31.	Gandarbh or Gandharb	47	गंदर्भ या गंधर्व
32.	Gangai (Nagesh)	48	गंगाई (नागेश)
33.	Gangota, Gangoth	49	गंगोता
34.	Gorh, Gaurh (only in the district of Saran & Rohtas)	55	गोड़ या गौड़ (केवल सारण तथा रोहतास जिला में)
35.	Gulgaliya	58	गुलगलिआ
36.	Goud	56	गौड़
37.	Ghatwar	50	घटवार
38.	Chik (Muslim)	28	चीक (मुस्लिम)
39.	Chain, Chayeen	24	चांई, चाइन (चांच, चाचीन)
40.	Chapota	26	चपोता
41.	Chandrabanshi (Kahar)	23	चन्द्रवंशी (कहार)
42.	Churihar (Muslim)	29	चुड़िहार (मुस्लिम)
43.	Chanou	25	चनउ
44.	Jogi (Jugi)	64	जोगी (जूगी)
45.	Tikulhar	165	टिकुलहार
46.	Dafali (Muslim)	31	दफाली (मुस्लिम)
47.	Dhekaru	39	डेकारू
48.	Tanti (Tatwa) Tati, Tatin	159	ताँती (ततवा), ताती, तातीन
49.	Turha	167	तूरहा
50.	Tamariya	156	तमरिया
51.	Tiyar	166	तियर
52.	Tamoli, Tamboli	158, 157	तमोली, तम्बोली
53.	Teli	161	तेली
54.	Tharu	164	थारू
55.	Devhar	33	दवहार
56.	Dhanuk	36	धानुक
57.	Dhobi (Muslim)	धोबी (मुस्लिम)	Covered by general note on p. 171 of Mandal Report (Second part)
58.	Dhunia (Muslim)	41	धुनिया (मुस्लिम)
59.	Dhamin	34	धामीन

60.	Dhankar	35	धनकर
61.	Dhimar	40	धीमर
62.	Nai	62	नाई
63.	Nat (Muslim)	127	नट (मुस्लिम)
64.	Nunia, Nonia	129	नोनिया, नुनिया
65.	Namshudra	126	नामशुद्र
66.	Naiya	59	नइया
67.	Nalband (Muslim)	125	नालबन्द (मुस्लिम)
68.	Pamaria (Muslim)	132	पमरिया (मुस्लिम)
69.	Prajapati (Kumhar)	98	प्रजापति (कुम्हार)
70.	Pandi	133	पाण्डी
71.	Pinganiya	139	पिनगनिया
72.	Parya	134	परया
73.	Pradhan	140	प्रधान
74.	Pahira	130	पहिरा
75.	Pal (Bherihar-Gaderi), Ganderia	131	पाल (भेड़िहार-गड़ेरी)
76.	Bekhada	11	बेखडा
77.	Bagdi	6	वागदी
78.	Bari	9	बारी
79.	Beldar	12	बेलदार
80.	Bind	21	बिन्द
81.	Barhai (Viswakarma)	74	बढ़ई (विश्वकर्मा)
82.	Barai	8	बरई
83.	Sudi,	4	सूढ़ी
	Halwai	4	हलवाई
	Roniyar	4	रोनियार
	Pansari	4	पनसारी
	Modi	4	मोदी
	Kasera	4	कसेरा
	Kesarwani	4	केसरवानी

	Thathera			164	ठठेरा
	Kalwar			73	कलवार
	Patwa			137	पटवा
	Sinduriya–Bania			4	सिन्दुरिया- बनिया
	Mahuri–Vaishya			4	माहूरी–वैश्य
	Avadh-Bania			4	अवध–बनिया
	Agrahari-Vaishya			4	अग्रहरी–वैश्य
84.	Bhathiara (Muslim)			19	भटियारा (मुस्लिम)
85.	Bhar			15	भार
86.	Bhaskar			17	भास्कर
87.	Bhuihar, Bhuiyar			20	भूईहार, भुईआर
88.	Bhat, Bhatt			18	भाट, भट्ट
89.	Mali (Malakar)			114	माली (मालाकार)
90.	Mallah (Surhia)			115	मल्लाह (सुरहिया)
91.	Medari (Muslim)			108	मदारी (मुस्लिम)
92.	Mehtar	Muslim	मेहतर	मुस्लिम	Covered by the general note on p. 171 of Mandal
	Lalbegi		लालबेगी		Report (Second part) 104
	Halalkhor		हलालखोर		Covered by the general note on p. 171 of Mandal
	Bhangi		भंगी		Report (Second part) 104
93.	Mirisin (Muslim)			120	मिरियासिन (मुस्लिम)
94.	Majhwar			112	मझवार
95.	Malar (Malhar)			113	मालार (मालहार)
96.	Mangar (Magar)			117	मानगर (मागर)
97.	Markande			118	मारकण्डे
98.	Maulik			123	मउलिक
99.	Mukri (Mukeri) (Muslim)			124	मूकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)
100.	Madar			107	मदार
101.	Mauriaro, Mauriara			129	मौरियारो, मूरियारी
102.	Mirshikar (Muslim)			121	मिरशिकार (मुस्लिम)
103.	Momin (Muslim)			122	मोमिन (मुस्लिम)
104.	Yadav (Gwala, Ahir, Ghasi, Gope)			168	यादव (ग्वाला, अहिर, घासी, गोप)

105.	Rajbhar	141	राजभर
106.	Rajdhobi	143	राजधोबी
107.	Rajbanshi (Risija and Poliya)	142	राजवंशी (रिसया तथा पोलिया)
108.	Rangwan	144	रंगवा
109.	Rangrez (Muslim)	145	रंगरेज (मुस्लिम)
110.	Rauttiya	146	रउतिया
111.	Rayeen or Kunjra (Muslim)	147, 99	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)
112.	Laheri	103	लाहेरी
113.	Banpar	7	बनपर
114.	Shivhari	151	शिवहरि
115.	Sauta (Sota)	149	सउंटा (सोटा)
116.	Sayee (Muslim)	150	सांई (मुस्लिम)
117.	Sonar, Sunar	154	सोनार, सुनार
118.	Sangatrash (only in the district of Nawadah)	148	संगतराश (केवल नवादा जिला में)
119.	Idrisi or Darji (Muslim)	61	इदरिसी या दर्जी (मुस्लिम)
120.	Christian converts from Scheduled Castes	General note in p. 171 of Mandal Report (Second Part)	
121.	Christian converts from Other Backward Classes	-do	
122.	Dhanwar	37	धनवार

(In Bihar there are two lists, List I relates to "Other Backward Classes" (OBC) whereas list II relates to "Most Backward Classes" among the OBC. All names (except Dhanwar of list II are common to both the lists).

(बिहार में दो सूचियाँ हैं । पहली सूची का संबंध अन्य पिछड़े वर्गों से है । सूची 2 का संबंध अन्य पिछड़े वर्गों में से अत्यन्त पिछड़े वर्गों से है । सूची-2 के सभी नाम (धनवार को छोड़कर) दोनों सूचियों में एक-से हैं।

पत्र संख्या 11/वि०1-1022/91 (खण्ड) का०-163

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री गुलाम ताहिर, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/ सभी विश्वविद्यालय के कुलपति / महालेखाकार, बिहार, पटना एवं राँची ।

पटना-15, दिनांक 28.12.93 ।

विषय :- व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संलग्न संकल्प संख्या 155 दिनांक 14.12.93 के प्रावधान एवं उसके साथ संलग्न सभी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की सूची की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहना है कि प्रासंगिक संकल्प के विहित सूची में कृषि एवं पशुपालन विभाग के नियंत्रणाधीन कृषि विश्वविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का नाम सूचीकृत नहीं हो सका है ।

सरकार की स्पष्ट मंशा है कि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का जो प्रावधान है उसे कृषि विश्वविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में भी लागू किया जाय ।

अतः संकल्प संख्या 155, दिनांक 14-12-93 की कंडिका 3 के अन्तर्गत निर्गत सूची में राज्य के अन्तर्गत सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं पशुचिकित्सा महाविद्यालयों का नाम VI एवं VII के रूप में जोड़ा जाता है । कृषि एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची तदनुसार संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव ।

(VI) कृषि विभाग एवं (VII) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, राँची के अधीन :-

(क) राँची कृषि महाविद्यालय, कांके, रांची

(ख) पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कांके, रांची

(ग) वानिकी महाविद्यालय, कांके, रांची ।

2. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के अधीन :-

(क) बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर, भागलपुर

(ख) तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर

(ग) पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना

(घ) संजय गांधी गव्य तकनीकी संस्थान, पटना

(ङ) मत्स्य महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर

(च) कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर

(छ) गृह विज्ञान महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) की आरक्षण पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.11.1992 के न्याय निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्ति में विहित आरक्षण अनुमात्र को सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु कोटा (आरक्षण प्रतिशत) निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त मात्रा में व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा मिल सके जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व संभव हो सके ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-20, दिनांक 6-2-92 द्वारा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अनु० जाति/अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्गों को प्रवेश (नामांकन) हेतु आरक्षण का प्रावधान रखा गया था । इस संकल्प को विलोपित करते हुए व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु अनु० जाति/अनु० जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निम्न रूप से आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है । आरक्षण की इस सुविधा के लिये कोई आर्थिक आधार नहीं रहेगा । व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु उपलब्ध सीटों को निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जायगा :-

(क) खुली गुणागुण कोटि से 50 प्रतिशत ।

(ख) आरक्षित कोटि से 50 प्रतिशत ।

आरक्षण कोटा के 50 प्रतिशत सीटों में से आरक्षित उम्मीदवारों को विभिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत निर्धारित किया गया है :-

अनुसूचित जाति	-	14 प्रतिशत
अनुसूचित जन जाति	-	10 प्रतिशत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	14 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	-	10 प्रतिशत
पिछड़े वर्ग की महिला	-	2 प्रतिशत
कुल	-	50 प्रतिशत

पिछड़े वर्ग की महिला से अभिप्रेत है अनु० जाति/अनु० जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग की महिला।

यह प्रावधान क्षेत्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगा ।

जहाँ तक प्रमंडल एवं जिला स्तर के व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों का प्रश्न है, वहां नामांकन में प्रमंडल एवं जिला का आरक्षण लागू होगा जिसका पूर्ण ब्योरा अनुसूची "क", "ख" में संलग्न है ।

विभिन्न विभागों द्वारा कुछ व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिये पूर्व से ही आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । यह आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति की संख्या पर आधारित है । अगर उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिये आरक्षण का प्रतिशत उपर्युक्त निर्धारित प्रतिशत से अधिक है तो उसे कम नहीं किया जाय । लेकिन ऐसे व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियों का जोड़ एवं 50 प्रतिशत के बीच जो अन्तर होगा उसे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिए क्रमशः 14, 10 एवं 2 प्रतिशत के अनुपात में आरक्षित समझा जायेगा । जहाँ अनु० जाति एवं अनु० जनजाति का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक है वहाँ अन्य आरक्षित वर्गों के लिये आरक्षण नहीं होगा । यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो उस वर्ग के लिए आरक्षित रिक्ति को निम्नलिखित रूप से विनिमय किया जायेगा :-

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से नामांकन किया जायेगा ।

(ख) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जायेगा ।

(ग) यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार से नामांकन किया जायेगा ।

(घ) यदि पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो उन्हें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार से नामांकन किया जायेगा ।

(ङ) यदि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के निमित्त आरक्षित कोटा के लिये उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :-

(1) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से,

(2) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से,

(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से,

(4) पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से ।

यदि इसके बाद भी सीटें बच जाती हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जायेगा ।

3. जैसा कि सीधी नियुक्ति के आरक्षण में प्रावधान है कि मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को

आरक्षित सीटों के विरुद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणागुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध माना जायेगा, वैसी ही व्यवस्था करते हुए व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश (नामांकन) हेतु मेरिट से चुने गये नामांकन पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित कोटा के विरुद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा तथा उन्हें खुली गुणागुण कोटि से 50 प्रतिशत रिक्तियों के अन्दर माना जायेगा ।

विभिन्न विभागों से प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों की सूची-अनुसूची "ग" द्रष्टव्य है । अगर कोई व्यावसायिक संस्था इस सूची के अन्तर्गत नहीं भी है तो उसमें यह प्रावधान लागू होगा । इस सूची में समय-समय पर परिस्थिति के अनुसार किसी संस्थान का नाम जोड़ा या विलोपित किया जा सकता है।

इस संकल्प में दिये गये प्रावधान तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा जिन संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षायें/आवेदनपत्र लिये जा चुके हैं परन्तु नामांकन नहीं हुआ हो तो उस पर भी लागू होंगे ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक सेवा आयोग/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक - 11/वि० 1-1022/91 खंड-1 का०-155 पटना-15, दिनांक 14 दिसम्बर, 93

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी 5,000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -11/वि० 1-1022/91 खंड-1 का०-155 पटना-15, दिनांक 14 दिसम्बर, 93

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/सभी विश्वंविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव